कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 11/2024 **दिनांक 29/11/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्य़ाःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 28.11.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जमानिया पुलिस द्वारा 01 नफर शराब तस्कर को 90 पाउच देसी शराब के साथ किया गया गिरफ्तार कब्ज़े से 01अदद देसी तमंचा मय ज़िंदा कारतूस बरामद।

अपराध एवं अपराधियो के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 28.11.2024 को उ0नि0 राम कुमार दूबे मय हमराह क्षेत्र मे मामूर था कि द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर धुस्का गाँव के पास से अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र विशंभर बिन्द निवासी सादुल्लाहपुर थाना रामगढ़ जिला भभुआ बिहार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 90 पाउच ब्लू लाइम देशी शराब बरामद हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध थाना जमानियाँ गाजीपुर पर मु0अ0सं0 339/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01 .उमेश कुमार पुत्र विशंभर बिन्द निवासी सादुल्लाहपुर थाना रामगढ़ जिला भभुआ बिहार।

बरामदगी-

01 . 90 पाउच ब्लू लाइम देसी शराब

02 . 01 अदद देशी तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 339/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना जमानिया गाजीपुर

02. दिनांक 28.11.2024 को कार्यालय महिला सहायता प्रकोष्ठ/परिवार परामर्श केंद्र गाज़ीपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के कुशल निर्देशन में पति पत्नी के विवाद से संबंधित कुल 09 प्रकरण को सुना गया जिसमे काफी समय से विवादित चल रहे 03 प्रकरण में दोनों पक्षों को बैठा कर मध्यस्थता के माध्यम से बिना किसी दबाव के राजी खुशी से गिले शिकवे भूला कर विदाई करवाई गई 02 प्रकरण में एक पक्ष अनुपस्थित होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई शेष 03 प्रकरण में अभी मध्यस्ता न होने के कारण अगली तिथि निर्धारित की गई 01 प्रकरण में क़ानूनी सलाह देते हुवे पत्रावली बंद कर दी गई इन सभी प्रकरण के निस्तारण में

कमरुद्दीन, महिला सहायता प्रकोष्ठ प्रभारी शशि सिंह, महिला मुख्य आरक्षी सुनीता गिरी, महिला आरक्षी रोली सिंह, महिला आरक्षी रागिनी, चौबे महिला होमगार्ड विमला, ऊर्मिला गिरी आदि लोग प्रमुख थे।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर